

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 87 /2023

Shivanand SinghAppellant

Versus

The State of Bihar & Anr.Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	<u>29.03.2025</u>	आदेश यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, मनिहारी द्वारा BLDR Case No- 12 / 2022-23 में दिनांक-14.03.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-27.03.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि उभय पक्ष के बीच मौजा करीमुल्लापुर, खेसरा संख्या-1625 के खरीदगी जमीन के सीमांकन का विवाद है। वस्तुतः उभय पक्ष की ओर से एक ही खेसरा संख्या-1625 की जमीन क्रय की गयी है तथा मापी के उपरांत दोनों पक्षों को जमीन केवाला के रकवा से कम पाया गया है। विपक्षी को उनके हिस्से की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ है। इस मामले में अपीलार्थी की ओर से अपने Claim के समर्थन में Comprehensive Evidence उपस्थापित नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। <u>Bye k.</u> <u>29/3/25.</u> आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। <u>Bye k.</u> <u>29/3/25.</u> आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	



FORM OF ORDER SHEET

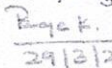
IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 87 /2023

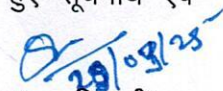
Shivanand SinghAppellant

Versus

The State of Bihar & Anr.Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.03.2025	आदेश यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, मनिहारी द्वारा BLDR Case No- 12/2022-23 में दिनांक-14.03.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-27.03.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि उभय पक्ष के बीच मौजा करीमुल्लापुर, खेसरा संख्या-1625 के खरीदगी जमीन के सीमांकन का विवाद है। वस्तुतः उभय पक्ष की ओर से एक ही खेसरा संख्या-1625 की जमीन क्रय की गयी है तथा मापी के उपरांत दोनों पक्षों को जमीन केवाला के रकवा से कम पाया गया है। विपक्षी को उनके हिस्से की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ है। इस मामले में अपीलार्थी की ओर से अपने Claim के समर्थन में Comprehensive Evidence उपस्थापित नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजे। लेखापित एवं शुद्धित।  29/3/25. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। 	
ज्ञापांक	1432	दिनांक	29.03.25.

प्रतिलिपि:- भूमि सुधार उप समाहर्ता, मनिहारी को उनके पत्रांक-453, दिनांक-17.07.2023 द्वारा प्राप्त मूल अभिलेख वापस करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


29/3/25
प्रशाखा पदाधिकारी,
विधि प्रशाखा,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।